[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 34/2021-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 अगस्त, 2021

सा.का.नि. ...... (अ).– भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.35/2020-केन्द्रीय कर तारीख 3 अप्रैल, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 235(अ) तारीख 3 अप्रैल, 2020 और सं.14/2021-केन्द्रीय कर तारीख 1 मई, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 310(अ) तारीख 1 मई, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करती है कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन करने की समयसीमा 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2021 की समयावधि के दौरान आती है, तो ऐसा आवेदन करने की समयसीमा का 30 सितंबर, 2021 तक विस्तार किया जाएगा ।

[फा. सं. सीबीआईसी -20006/24/2021-जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार